संक्षिप्त विवरण

निःशक्तजनों की योग्यताओं को सामाजिक, व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाकर अधिनियम 1995 के नियम–3 के अन्तर्गत उपयुक्त करना ।

लक्ष्य

(1) तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिये उपयुक्त निःशक्तजनों की पहचान करना

(2) यहां स्थित उद्योग एवं व्यवसायिक क्षेत्रों एवं निःशक्तजनों दोनों की आवश्यकतानुसार उपयुक्त तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधाऐं उपलब्ध कराना, जिससे वे औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सकें ।

उपरोक्त लक्ष्य पूर्ति हेतु फार्मल एवं नॉन फार्मल प्रोग्राम के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है ।

प्रशिक्षण के प्रकार

(1) नॉन फार्मल प्रोग्राम :–

लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम :– इसके अन्तर्गत लघु अवधि प्रशिक्षण आयोजित कर निःशक्तजनों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते है जिनकी अवधि तीन माह की होती है ।

निःशक्तजनों के प्रकार एवं प्रतिशत के आधार पर उनकी योग्यता एवं संभावित कार्यक्षमता के आधार पर निःशक्तजनों को उद्योग एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में उपयुक्त संस्था में ऐसे हस्तकौशल के क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सके । उक्त कार्यक्रम के तहत संस्था में निम्न ट्रेड संचालित है – कम्प्युटर फण्डामेन्टल एण्ड एप्लीकेशन, घरेलू वायरिंग एवं आवश्यक उपकरण सुधार/मोटर बाईंडिंग, सिलाई एवं कशीदाकारी, ब्युटीशियन एवं फोटोग्रॉफी–विडियोग्रॉफी, कम्प्युटर एकाउंटिंग (टेली), स्क्रीन प्रिंटिंग, फाईन आर्ट्स आदि ।

प्रवेश प्रक्रिया

निःशक्तजन उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संस्था में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर निःशुल्क प्रशिक्षण फार्म प्राप्त कर भरकर तथा आवश्यक दस्तावेजों जैसे मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र एवं समस्त अंकसूचियों सहित जमा कर सकते है जिन्हें प्रशिक्षण हेतु पृथक से दूरभाष तथा डाक के माध्यम से सूचित किया जाता है ।

कम्प्युटर प्रशिक्षण प्राप्त करते निःशक्तजन

सिलाई एवं कशीदाकरी प्रशिक्षण प्राप्त करते निःशक्तजन

घरेलू विद्युत उपकरण सुधार प्रशिक्षण प्राप्त करते निःशक्तजन

प्रशिक्षण दौरान दी जाने वाली सुविधायें

चयनित प्रशिक्षार्थियों को शासन के नियमानुसार प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि एवं अन्य भत्ते तथा प्रशिक्षणोपरांत टूल किट्स क्रय किये जाने हेतु राशि प्रदान की जाती है ।

कम्प्यूटर ट्रेड में प्रशिक्षणरत निःशक्तजन

ब्यूटीशियन ट्रेड में प्रशिक्षणरत निःशक्तजन

(2) विभिन्न त्रिवर्षिय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश (फार्मल प्रोग्राम) :–

इसके संस्था में चल रहे विभिन्न त्रिवर्षिय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में योग्य अस्थिबाधित/पोलियोग्रस्त निःशक्तजन कन्याओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा 25 सीट आरक्षित है जिनमें वर्ष 2003–04 से विभिन्न संकायों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली कम्युनिकेशन, कम्प्युटर साइंस, इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी, आर्कीटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाईन, कॉस्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट में प्रवेश शासन के नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है । साथ अधोसंरचनाओं का निर्माण/परिवर्तन/सुधार करने उनके निर्बाध आवागमन हेतु सुविधाऐं उपलब्ध है । प्रवेशित छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण छात्रावास एवं अन्य प्रोत्साहन भत्ते शासन के नियमानुसार प्रतिमाह दिया जाता है ।

प्रवेश प्रक्रिया

निःशक्तजन अभ्यर्थियों को उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु अप्रैल से जून के मध्य तकनीकी शिक्षा संचालनालय/संस्था स्तर पर प्रवेश हेतु समाचार पत्रों में तथा

वेबसाईट के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाता है जिसमें 10 वीं एवं 12 वीं के मेरिट अंको के आधार पर पात्रता रखने वाली निःशक्तजन छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है ।

अध्ययनकाल के दौरान दी जाने वाली सुविधायें :–

चयनित प्रवेशित छात्राओं को शासन के नियमानुसार प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि एवं अन्य भत्ते तथा प्रतिवर्ष पुस्तक एवं युनिफार्म क्रय किये जाने हेतु पृथक से राशि प्रदान की जाती है । तथा छात्रावास में स्थान रिक्त होनें पर सुविधा प्रदान की जाती है ।

कार्यप्रणाली

(1) सर्वेक्षण एवं व्यक्तिगत संपर्क द्वारा व्यवसायों की पहचान करना :– यथा ऐसे हस्तकौशल युक्त व्यवसायिक क्षेत्रों की पहचान, औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानों की सहायता से करना जिसमें निःशक्तजनों को रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाऐं हो सके ।

(2) शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं यथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, व्यवसायिक पुर्नवास केन्द्र (भारत–शासन) आदि की सहायता से ऐसे निःशक्तजनों की पहचान करना जो उपरोक्त व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य हों प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जायेगा ।

(3) निःशक्तों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास में अन्य संस्थाओं, संस्थानों एवं अभिकरणों की सहायता प्राप्त करना ।

(4) प्रशिक्षण हेतु चुने गए निःशक्तजनों को प्रशिक्षण/शिक्षण की अवधि में उपयुक्त सहायता प्रदान करना जिससे उनके परिवार पर आर्थिक भार न आ सके ।

"निःशक्तजनों जागो, उठो अब स्वयं की ही नहीं, वरन् आई राष्ट्र निर्माण में हमारे योगदान की बारी"

व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, जबलपुर के सहयोग से दो दिवसीय पात्रता प्रमाण–पत्र सुविधा हेतु शिविर

संस्था में आयोजित खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते निःशक्तजन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत शासन, नई दिल्ली, द्वारा प्रवर्तित

निःशक्तजन योजना प्रकोष्ठ

तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में निःशक्तजनों के समन्वय की परियोजना

शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरन बाजार, रायपुर, (छ.ग.)

संपर्क सूत्र :

प्राचार्य कार्यालय :– 0771–2423045,
फैक्स नंबर :– 0771–2424778
ई–मेल :– ggpraipur@yahoo.com
वेब साईट :– www.ggpraipur.ac.in